फैक्स / ई-मेल द्वारा
स्पीड पोस्ट / महत्वपूर्ण

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

GRO/ LRC
23/04/2019

संख्या:- 2034/4–33ए/13 दिनांक 23 अप्रैल, 2019

विषय– पूरे सेवाकाल में केवल एक बार लेखपालों के निजी अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण गृह मण्डल के किसी भी जनपद (गृह जनपद को छोड़कर) में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषदादेश संख्या–1165/4–33ए/2013, दिनांक 11 मार्च 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–1595/ एक–9–2016–9 (रा)/2018,दिनांक 23–6–18 के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराये जाने, स्थानान्तरण का प्रारूप राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं आवेदन **अपलोड की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2019** की स्थिति से अवगत कराया गया था।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति स्थाई लेखपाल स्थानान्तरण हेतु **आवेदन दिनांक 15 मई 2019 तक अपलोड** कर सकते है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(गरिमा स्वरूप),
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

1– प्रतिलिपि तकनीकी [illegible] एन0आई0सी0, राजस्व परिषद,उ0प्र0लखनऊ को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि महामंत्री उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को उनके पत्र दिनांक 28–3–19 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(गरिमा स्वरूप),
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी- बहराइच
संख्या: 2241 /भूलेख-सात/लेखपाल-स्था०/19 दि० मई-03, 2019
समस्त उपजिलाधिकारी
जनपद- बहराइच।
कृ० मा० परिषद के आदेशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य राजस्व अधिकारी
बहराइच